क्रम-संख्या—197

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(7)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 अगस्त, 2004

श्रावण 28, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1236/सात-वि-1–1(क)15-2004

लखनऊ, 19 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 18 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

शिक्षा।

उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2004)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 28 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में उपधारा (2) तथा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह,–

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो; न हो या न रहा हो; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।

(2–क) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह,–

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो; या

(ङ) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो; या

(च) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो; या

(छ) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2004)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों के चयन हेतु सेवा आयोग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में उक्त आयोग की संरचना की व्यवस्था की गयी है। उपधारा (2) और (2–क) में उक्त आयोग के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की अर्हताएं दी गयी हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त उपधाराओं के अधीन दी गयी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिसके कारण अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन में विलम्ब हो रहा था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त उपधाराओं के अधीन दी गयी अर्हताओं में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मई, 2004 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1236/VII-V-1–1 (Ka) 15-2004
Dated Lucknow, August 19, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 2004.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2004

[U.P. ACT NO. 24 OF 2004]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HERE BY enacted in the fifty fifth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2004. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 28, 2004.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-sections (2) and (2-a), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(2) No person shall be qualified for appointment as Chairman unless he–

(a) is or has been a member of Uttar Pradesh Higher Judicial Service who has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto; or

(b) is or has been a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the State Government or any other post under the State Government equivalent thereto; or

(c) is or has been a Vice-Chancellor of any University; or

(d) is or has been a Professor in any University; or

(e) is in the opinion of the State Government an eminent person having made valuable contribution in the field of education.

(2-a) No person shall be qualified for appointment as member unless he–

(a) is or has been a member of Uttar Pradesh Higher Judicial Service who has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto; or

(b) is or has been a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the State Government or any other post under the State Government equivalent thereto; or

(c) is or has been a Vice-Chancellor of any University; or

(d) is or has been a Professor in any University; or

(e) is or has been a Principal of a Post Graduate College for a period of not less than five years; or

(f) is or has been a Principal of a Degree College for a period of not less than ten years; or

(g) is in the opinion of the State Government an eminent person having made valuable contribution in the field of education."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Higher Education services Commission (Amendment) Ordinance 2004 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 2004.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Higher Education services commission Act, 1980 has been enacted to establish a service commission for the selection of teachers for appointment to the colleges affiliated to or recognised by a university. Section 4 of the said Act provides for the composition of the said Commission. Sub-sections (2) and (2-a) provide for qualifications of persons for appointment as Chairman and members respectively of the said commission. The availability of adequate number of candidates having qualifications provided under the said sub-sections for appointment to the offices of the Chairman and members of the Commission was not possible due to which the selection of candidates for appointment to the posts of teachers was being delayed. It was, therefore, decided to amend the said Act to make necessary changes in the qualifications provided under the said sub-sections for appointment to the offices of the chairman and the members of the commission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was ncessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Higher Education services commission (Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Oridinance no. 4 of 2004) was promulgated by the Governor on may 28, 2004.

This bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

linance
4 of
)4.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 378 राजपत्र–(हिन्दी)–2004–(1035)–2004–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 160 सा० विधायी–2004–(1036)–2004–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।